



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन : 011-29581000, वेबसाइट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया 2018-19 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-2019 हेतु प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विद्यमान तथा प्रस्तावित सभी तकनीकी संस्थाओं से निम्नानुसार अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

(क) डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/होटल प्रबंधन एवं खान पान प्रौद्योगिकी/प्रबंधन/एमसीए में तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु आवेदन। अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक, पिछले शैक्षणिक वर्ष में वास्तुकला परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थाएं/एमसीए/एमबीए चलाने वाली गैर-तकनीकी संस्थाएं नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगी। अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पास किये गए आदेश सीए संख्या 17869-17870/2017 दिनांक 03.11.2017 के अनुपालन में) नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगी।

अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक विश्वविद्यालय विभाग/घटक (कन्स्ट्रिक्टूअन्ट) महाविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन करेंगे।

(ख) इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/भेषजी/वास्तुकला/आयोजना/अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प/होटल प्रबंधन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी/प्रबंधन/एमसीए में डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली, विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यमान तकनीकी संस्थाओं द्वारा "स्थान/स्थिति में परिवर्तन/संस्था को बंद करना/महिला संस्था को सह-शिक्षण संस्था में तथा सह-शिक्षण संस्था को महिला संस्था में परिवर्तित करना/डिग्री स्तर को डिप्लोमा स्तर में तथा डिप्लोमा स्तर को डिग्री स्तर में परिवर्तित करना/अनुमोदन में विस्तार/पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में अनुमोदन पर लगी रोक के बाद अनुमोदन को नियमित करना/पूर्वावस्था की प्राप्ति (रेस्ट्रैशन)/प्रवेश क्षमता में वृद्धि/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (ओं)/एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम जोड़ना/डिग्री भेषजी संस्थाओं में डिप्लोमा तथा डिप्लोमा भेषजी संस्थाओं में डिग्री आरंभ करना/भेषजी (फार्मा)-डी पाठ्यक्रम आरंभ करना/पीजीडीएम पाठ्यक्रम चलाने वाली प्रबंधन संस्थाओं को एमबीए पाठ्यक्रम में परिवर्तित करना/द्वितीय पाली पाठ्यक्रम (ओं) को प्रथम पाली पाठ्यक्रम (ओं) में परिवर्तित करना/अंशकालिक पाठ्यक्रम (ओं) आरंभ करना/प्रबंधन में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का आरंभ/ओसीआई/पीआईओ/विदेशी राष्ट्रिक/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों के लिए अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पुत्र/पुत्रियों हेतु सीटें आरंभ करना/जारी रखना/पाठ्यक्रम (ओं) के नाम में परिवर्तन/प्रवेश क्षमता में कमी/कार्यक्रम (ओं) तथा/अथवा पाठ्यक्रम (ओं) को बंद करना/संस्था अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन/न्यास/सोसाइटी/कंपनी के नाम (विलयन (मर्जिंग) सहित) में परिवर्तन/ट्विनिंग/सहभागिता कार्यक्रमों को आरंभ करना/जारी रखना" हेतु आवेदन।

(ग) डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली विद्यमान तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाएँ जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत डिप्लोमा/डिग्री स्तर तक के व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम (ओं) आरंभ करने की इच्छुक हैं, से आवेदन।

(घ) सत्र 2018-2019 के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु ऑनलाईन आवेदन जमा करने 01 जनवरी, 2018 से आरंभ होंगे तथा 31 जनवरी, 2018 को बंद होंगे। केवल विद्यमान संस्थाओं को अनुमोदन में विस्तार हेतु ऑनलाईन आवेदन जुमाने सहित (अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2018-19 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार) जमा करने के लिए (अंतिम तिथि) 05 फरवरी, 2018 तक अनुमति दी जाएगी। यह नोट कर लिया जाए की किसी भी परिस्थिति में तिथि को दुबारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(ङ) सत्र 2018-2019 के लिए उपरोक्त दिए गए सभी अनुमोदनों हेतु ऑनलाईन भरे गए सभी आवेदनों पर प्रक्रमण 01 फरवरी, 2018 से आरंभ होगा तथा 10 अप्रैल, 2018 को बंद होगा।

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल: www.aicte-india.org पर ऑनलाईन आवेदन करने से पहले अभातशिप अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका (2018-19) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2016 तथा प्रथम संशोधन, 2017 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें।

विज्ञापन संख्या : अनुमोदन/12(03)/2017

सदस्य सचिव, अभातशिप



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110067

Ph. No.: 011-26131578, 011-26131580, 011-29581000 Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2018 -19

AICTE invites applications for approval from all the existing and proposed Technical Institutions for conducting technical Programmes/ Courses including courses of Management **for the academic session 2018-19** as per the following:

- (a) Applications for “Setting up New Technical Institutions Offering Technical Programmes in Engineering and Technology/ Pharmacy/ Architecture/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Hotel Management and Catering Technology/ Management/ MCA at Diploma/ Post Diploma/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma Levels affiliated to University/ Board”.

The Institutions approved by the Council of Architecture in the previous Academic Years/ Non-Technical Institutions conducting MCA/ MBA seeking approval for the first time from AICTE shall submit an application as a new Technical Institution.

Institutions Deemed to be Universities seeking approval for the first time from AICTE (in compliance to the order dated 03.11.2017 passed by the Hon’ble Supreme Court Order CA No.17869-17870 /2017) shall submit an application as a new Technical Institution.

University Departments/ Constituent Colleges/Private Universities seeking approval for the first time from AICTE may submit an application as a new Technical Institution.

- (b) Applications from Existing Technical Institutions offering Technical Programmes in Engineering and Technology/ Pharmacy/ Architecture/ Planning/ Applied Arts and Crafts/ Hotel Management and Catering Technology/ Management/ MCA at Diploma/ Post Diploma/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Degree/ Post Graduate Diploma Levels affiliated to University/ Board for “Change of Site/ Location/ Closure of Institution/ Conversion of Women’s Institution into Co-Ed Institution and vice-versa/ Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa/ Extension of Approval/ Continuation of approval after a break in the preceding Academic Year/ Restoration/ Increase in Intake/ Additional Course(s)/ Addition of Integrated/ Dual Degree Course/ To start Diploma in Degree Pharmacy Institutions and vice-versa/ Introduction of Pharm.D. Course/ Conversion of Management Institutions running PGDM Course into MBA Course/ Conversion of Second Shift Course(s) into First Shift Course(s)/ Introduction of Part Time Course(s)/ Introduction of Fellowship Programme in Management/ Introduction/ Continuation of supernumerary seats for OCI/ PIO/ Foreign Nationals/ Children of Indian Workers in the Gulf Countries/ Introduction/ Continuation of seats for sons/ daughters of NRIs/ Change in name of the Course(s)/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s) and/ or Course(s)/ Change in name of the Institution or Affiliating University/ Board/ Change in name (including merging) of the Trust/ Society/ Company/ Introduction/ Continuation of Twinning and Collaboration Programme”.
- (c) Applications from Existing Institution offering Technical Programmes at Diploma/ Under Graduate Degree and affiliated to Board/ University for seeking approval for Introduction of Vocational Education Programme(s) leading to Diploma / Degree in Vocational Education under NSQF.

- (d) **Submission of online applications for the session 2018-19** in respect of all approvals as above shall **begin on 1st January, 2018 and end on 31st January, 2018.** The last date for submission of online application for Extension of Approval with penalty (as per the provisions of APH 2018-19) **for existing Institutions only**, is permitted up to **5th February, 2018.** It may be noted that there will be no further extension of date under any circumstances.
- (e) **Processing of all applications submitted online for the session 2018-19** in respect of all approvals as above shall **begin on 1st February, 2018 and end on 10th April, 2018.**

All applicants are requested to read the AICTE Approval Process Hand Book 2018-19, All India Council for Technical Education (Grant of approval for Technical Institution) Regulations, 2016 and the 1st Amendment, 2017 carefully and thoroughly, before submitting online applications on AICTE Web Portal www.aicte-india.org for the **Academic Session 2018-19.**

Prof. ALOK PRAKASH MITTAL
Member Secretary, AICTE

Advt. No: Approval